

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2011/1932 (शक)]

अंक 1, सोमवार, 21 फरवरी, 2011/2 फाल्गुन, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची.....	(iii—x)
लोक सभा के पदाधिकारी.....	(xi)
मंत्रिपरिषद्.....	(xiii—xvi)
राष्ट्रगान.....	1
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख.....	1
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस.....	1
राष्ट्रपति का अभिभाषण.....	1-16
निधन संबंधी उल्लेख.....	16-22

पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अंगड़ी, श्री सुरेश (बेलगाम)	उदासी, श्री शिवकुमार (हावेरी)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (उत्तर-पूर्व दिल्ली)	उपाध्याय, श्रीमती सीमा (फतेहपुर सीकरी)
अग्रवाल, श्री राजेन्द्र (मेरठ)	एंटीनी, श्री एंटो (पथनमथीट्टा)
अजनाला, डॉ. रतन सिंह (खडूर साहिब)	ऐरन, श्री प्रवीण सिंह (बरेली)
अजमल, श्री बदरूद्दीन (धुबरी)	ओला, श्री शीश राम (झुंझुनू)
अजहरूद्दीन, श्री मोहम्मद (मुरादाबाद)	ओवेसी, श्री असादूद्दीन (हैदराबाद)
अडसुल, श्री आनंदराव (अमरावती)	कछाड़िया, श्री नारनभाई (अमरेली)
अधिकारी, श्री शिशिर कुमार (कांथी)	कटारिया, श्री लालचन्द (जयपुर ग्रामीण)
अधिकारी, श्री सुवेन्दु (तामलुक)	कटील, श्री नलिन कुमार (दक्षिण कन्नड)
अनंत कुमार, श्री (बंगलौर दक्षिण)	कमलनाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
अनुरागी, श्री घनश्याम (जालौन)	'कमांडो', श्री कमल किशोर (बहराइच)
अब्दुल्लाह, डॉ. फारूख (श्रीनगर)	करवारिया, श्री कपिल मुनि (फूलपुर)
अमलाबे, श्री नारायण सिंह (राजगढ़)	करुणाकरन, श्री पी. (कासरगोड)
अर्गल, श्री अशोक (भिंड)	कलमाडी, श्री सुरेश (पुणे)
अलागिरी, श्री एम.के. (मदुरै)	कश्यप, श्री बलीराम (बस्तर)
अलागिरी, श्री एस. (कुड्डालोर)	कश्यप, श्री वीरेन्द्र (शिमला)
अहमद, श्री ई. (मालापुरम)	कस्वां, श्री राम सिंह (चुरू)
अहमद, श्री सुल्तान (उलूबेरिया)	कामत, श्री गुरुदास (मुंबई उत्तर-पश्चिम)
अहीर, श्री हंसराज गंगाराम (चन्द्रपुर)	किल्ली, डॉ. कुपारानी (श्रीकाकुलम)
आचार्य, श्री बासुदेव (बांकुरा)	कुमार, श्री कौशलेन्द्र (नालंदा)
आजाद, श्री कीर्ति (दरभंगा)	कुमार, श्री पी. (तिरुचिरापल्ली)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (गांधीनगर)	कुमार, श्री मिथिलेश (शाहजहांपुर)
आदित्यनाथ, योगी (गोरखपुर)	कुमार, श्री रमेश (दक्षिण दिल्ली)
आधि शंकर, श्री (कल्लाकुरिची)	कुमार, श्री विश्व मोहन (सुपौल)
आनंदन, श्री एम. (विलुपुरम)	कुमार, श्री वीरेन्द्र (टीकमगढ़)
आरुन रशीद, श्री जे.एम. (थेनी)	कुमार, श्री शैलेन्द्र (कौशाम्बी)
आवले, श्री जयवंत गंगाराम (लातूर)	कुमार, श्रीमती मीरा (सासाराम)
इंगती, श्री बिरेन सिंह (स्वशासी जिला-असम)	कुमारास्वामी, श्री एच.डी. (बंगलौर ग्रामीण)
इलेंगोवन, श्री टी.के.एस. (चेन्नई उत्तर)	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश (चोधपुर)
इस्लाम, शेख नूरूल (बसीरहाट)	कुमारी, श्रीमती पुतुल (बांका)
ईरींग, श्री निनींग (अरुणाचल पूर्व)	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर (कोल्लम)

कृष्णास्वामी, श्री एम. (अरानी)	चक्रवर्ती, श्रीमती विजया (गुवाहाटी)
कृष्ण, श्री एन. (हिन्दुपुर)	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र (दिंडोरी)
केपी, श्री महिन्दर सिंह (जालंधर)	चांग, श्री सी.एम. (नागालैंड)
कोडा, श्री मधु (सिंहभूम)	चाको, श्री पी.सी. (श्रिसूर)
कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी (गडचिरोली-चिमु)	चित्तन, श्री एन.एस.वी. (डिंडीगुल)
कौर, श्रीमती परनीत (पटियाला)	चिदम्बरम, श्री पी. (शिवगंगा)
खंडेला, श्री महादेव सिंह (सीकर)	चिन्ता मोहन, डॉ. (तिरुपति)
खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील (नांदेड़)	चौधरी, डॉ. तुषार (बारडोली)
खत्री, डॉ. निर्मल (फैजाबाद)	चौधरी, श्री अधीर (बहरामपुर)
खरगे, श्री मल्लिकार्जुन (गुलबर्गा)	चौधरी, श्री अबू हशीम खां (मालदा दक्षिण)
खान, श्री हसन (लद्दाख)	चौधरी, श्री अरविन्द कुमार (बस्ती)
खुशीद, श्री सलमान (फरूखाबाद)	चौधरी, श्री जयंत (मथुरा)
खैरे, श्री चंद्रकांत (औरंगाबाद)	चौधरी, श्री निखिल कुमार (कटिहार)
गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी (बनासकांठा)	चौधरी, श्री बंस गोपाल (आसनसोल)
गणेशमूर्ति, श्री ए. (इरोड)	चौधरी, श्री भूदेव (जमुई)
गद्गीगौदर, श्री पी.सी. (बागलकोट)	चौधरी, श्री हरीश (बाड़मेर)
गवली, श्रीमती भावना पाटील (यवतमाल-वाशिम)	चौधरी, श्रीमती श्रुति (भिवानी महेन्द्रगढ़)
गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल (अहमदनगर)	चौधरी, श्रीमती संतोष (होशियारपुर)
गांधी, श्री राहुल (अमेठी)	चौहान, श्री दारा सिंह (घोसी)
गांधी, श्री वरुण (पीलीभीत)	चौहान, श्री प्रभातसिंह पी. (पंचमहल)
गांधी, श्रीमती मेनका (आंवला)	चौहान, श्री महेन्द्र सिंह पी. (साबरकांठा)
गांधी, श्रीमती सोनिया (रायबरेली)	चौहान, श्री संजय सिंह (बिजनौर)
गांधीसेलवन, श्री एस. (नामाक्कल)	चौहान, श्रीमती राजकुमारी (अलीगढ़)
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव (मुम्बई दक्षिण-मध्य)	जगतरक्षकन, डॉ. एस. (अराकोनम)
गावित, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दुरबार)	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा (नागरकुरनूल)
गीते, श्री अनंत गंगाराम (रायगढ़)	जतुआ, श्री चौधरी मोहन (मथुरापुर)
गुड्डू, श्री प्रेमचन्द (उज्जैन)	जेयदुरई, श्री एस.आर. (थूथुकुडी)
गुलशन, श्रीमती परमजीत कौर (फरीदकोट)	जयाप्रदा, श्रीमती (रामपुर)
गोगोई, श्री दीप (कलियाबोर)	जरदोश, श्रीमती दर्शना (सूरत)
गोहौन, श्री राजेन (नोगोंग)	जहां, श्रीमती कैसर (सीतापुर)
गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे (बंगलौर उत्तर)	जाखड़, श्री बद्रीराम (पाली)
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द (उदूपी चिकमगलूर)	जाट, श्रीमती पूनम वेलजीभाई (कच्छ)
गौडा, श्री शिवराम (कोप्पल)	जाधव, श्री प्रतापराव गणपतराव (बुलढाणा)
घाटोवार, श्री पबन सिंह (डिब्रूगढ़)	जाधव, श्री बलीराम (पालघर)
धुबाया, श्री शेर सिंह (फिरोजपुर)	जायसवाल, डॉ. संजय (पश्चिम चम्पारण)

जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद (देवरिया)
 जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश (कानपुर)
 जावले, श्री हरिभाऊ (रावेर)
 जिन्दल, श्री नवीन (कुरुक्षेत्र)
 जिगजिणगी, श्री रमेश (बीजापुर)
 जूदेव, श्री दिलीप सिंह (बिलासपुर)
 जेना, श्री मोहन (जाजपुर)
 जेना, श्री श्रीकांत (बालासोर)
 जैन, श्री प्रदीप (झांसी)
 जोशी, डॉ. मुरली मनोहर (वाराणसी)
 जोशी, डॉ. सी.पी. (भीलवाड़ा)
 जोशी, श्री कैलाश (भोपाल)
 जोशी, श्री प्रहलाद (धारवाड)
 जोशी, श्री महेश (जयपुर)
 झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा (विजयनगरम)
 टन्डन, श्रीमती अन्नू (उन्नाव)
 टन्डन, श्री लालजी (लखनऊ)
 टम्टा, श्री प्रदीप (अल्मोड़ा)
 टुडु, श्री लक्ष्मण (मयूरभंज)
 टैगोर, श्री मानिक (विरुद्धनगर)
 टोप्पो, श्री जोसेफ (तेजपुर)
 ठाकुर, श्री अनुराग सिंह (हमीरपुर, हि.प्र.)
 ठाकोर, श्री जगदीश (पाटन)
 डिएस, श्री चार्ल्स (नामनिर्देशित)
 डे, डॉ. रत्ना सिंह (हुगली)
 डेका, श्री रमेन (मंगलदोई)
 डेविडसन, श्रीमती जे. हेल्न (कन्याकुमारी)
 डोम, डॉ. रामचन्द्र (बोलपुर)
 तम्बिदुरई, डॉ. एम. (करूर)
 तंवर, श्री अशोक (सिरसा)
 श्री तकाम संजय (अरुणाचल पश्चिम)
 तरई, श्री बिभु प्रसाद (जगतसिंहपुर)
 तवारे, श्री सुरेश काशीनाथ (भिवन्डी)
 ताविआड, डॉ. प्रभा किशोर (दाहोद)
 तिरकी, श्री मनोहर (अलीपुरद्वार)

तिरूमावलावन, श्री थोल (चिदम्बरम)
 तिवारी, श्री मनीष (लुधियाना)
 तीरथ, श्रीमती कृष्णा (उत्तर-पश्चिम दिल्ली)
 तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह (मुरैना)
 त्रिवेदी, श्री दिनेश (बैरकपुर)
 थरूर, डॉ. शशी (तिरुवनंतपुरम)
 थामराईसेलवन, श्री आर. (धर्मापुरी)
 थॉमस, प्रो. के.वी. (एर्नाकुलम)
 थॉमस, श्री पी.टी. (इदुक्की)
 दत्त, श्रीमती प्रिया (मुम्बई उत्तर-मध्य)
 दस्तदार, डॉ. काकोली घोष (बारासात)
 दास, श्री खगेन (त्रिपुरा पश्चिम)
 दास, श्री भक्त चरण (कालाहांडी)
 दास, श्री राम सुन्दर (हाजीपुर)
 दासगुप्त, श्री गुरुदास (घाटल)
 दासमुंशी, श्रीमती दीपा (रायगंज)
 दीक्षित, श्री सन्दीप (पूर्वी दिल्ली)
 दुबे, श्री निशिकांत (गोड्डा)
 दूधगांवकर, श्री गणेशराव नागोराव (परभणी)
 देव, श्री वी. किशोर चन्द्र (आरूकु)
 देवरा, श्री मिलंद (मुंबई-दक्षिण)
 देवी, श्रीमती अश्वमेध (उजियारपुर)
 देवी, श्रीमती रमा (शिवहर)
 देवेगौडा, श्री एच.डी. (हसन)
 देशमुख, श्री के.डी. (बालाघाट)
 धनपालन, श्री के.पी. (चालाकुडी)
 धुर्वे, श्रीमती ज्योति (बेतूल)
 धोत्रे, श्री संजय (अकोला)
 धुवनारायण, श्री आर. (चामराजनगर)
 नकवी, श्री जफर अली (खीरी)
 नटराजन, कुमारी मीनाक्षी (मंदसौर)
 नटराजन, श्री पी.आर. (कोयम्बटूर)
 नरह, श्रीमती रानी (लखीमपुर)
 नास्कर, श्री गोविन्द चन्द्रा (बनगांव)
 नाईक, डॉ. संजीव गणेश (ठाणे)

- नाईक, श्री श्रीपाद येसो (उत्तर गोवा)
 नागपाल, श्री देवेन्द्र (अमरोहा)
 नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह (गौतमबुद्ध नगर)
 नामधारी, श्री इन्दर सिंह (चतरा)
 नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप (धुले)
 नारायणसामी, श्री वी. (पुडुचेरी)
 निरूपम, श्री संजय (मुंबई-उत्तर)
 निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद (मुजफ्फरपुर)
 नूर, कुमारी मौसम (मालदा उत्तर)
 नैपोलियन, श्री डी. (पेरम्बलूर)
 पक्कीरप्पा, श्री एस. (रायचूर)
 पटले, श्रीमती कमला देवी (जांजगीर-चम्पा)
 पटेल, श्री आर.के. सिंह (बांदा)
 पटेल, श्री किसनभाई वी. (वलसाड)
 पटेल, श्री दिनशा (खेडा)
 पटेल, श्री देवजी एम. (जालौर)
 पटेल, श्री देवराज सिंह (रीवा)
 पटेल, श्री नाथूभाई गोमनभाई (दादरा और नगर हवेली)
 पटेल, श्री प्रफुल (भन्डारा गोंदिया)
 पटेल, श्री बाल कुमार (मिर्जापुर)
 पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई (दमन और दीव)
 पटेल, श्री सोमाभाई गंडालाल कोली (सुरेन्द्रनगर)
 पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन (महेसाणा)
 परांजपे, श्री आनंद प्रकाश (कल्याण)
 पलानीमनिकम, श्री एस.एस. (तंजावूर)
 पवार, श्री शरद (माधा)
 पांगी, श्री जयराम (कोरापुट)
 पांडा, श्री वैजयंत (केन्द्रपाड़ा)
 पाण्डेय, श्री राकेश (अम्बेडकर नगर)
 पाटसाणी, डॉ. प्रसन्न कुमार (भुवनेश्वर)
 पाटील, डॉ. पद्मसिंह बाजीराव (उस्मानाबाद)
 पाटील, श्री ए.टी. नाना (जलगांव)
 पाटील, श्री दानवे रावसाहेब (जालना)
 पाटील, श्री प्रतीक (सांगली)
 पाटील, श्री संजय दिना (मुंबई उत्तर-पूर्व)
- पाटिल, श्री सी.आर. (नवसारी)
 पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद पूर्व)
 पांडा, श्री प्रबोध (मिदनापुर)
 पाण्डेय, कुमारी सरोज (दुर्ग)
 पाण्डेय, श्री गोरखनाथ (भदोही)
 पाण्डेय, डॉ. विनय कुमार (श्रावस्ती)
 पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार (गिरिडीह)
 पायलट, श्री सचिन (अजमेर)
 पाल, श्री जगदम्बिका (डुमरियागंज)
 पाल, श्री राजाराम (अकबरपुर)
 पाला, श्री विन्सेंट एच. (शिलांग)
 पासवान, श्री कमलेश (बांसगांव)
 पुरकायस्थ, श्री कबीन्द्र (सिल्वर)
 पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी. (विशाखापटनम)
 पुनिया, श्री पन्ना लाल (बाराबंकी)
 पॉल, श्री तापस (कृष्णानगर)
 पोटाई, श्री सोहन (कांकेर)
 प्रभाकर, श्री पोन्नम (करीमनगर)
 प्रधान, श्री अमरनाथ (सम्बलपुर)
 प्रधान, श्री नित्यानंद (अस्का)
 प्रसाद, श्री जितिन (धौरहरा)
 प्रेमदास, श्री (इटावा)
 बंदोपाध्याय, श्री सुदीप (कोलकाता उत्तर)
 बंसल, श्री पवन कुमार (चण्डीगढ़)
 बघेल, श्रीमती सारिका देवेन्द्र सिंह (हाथरस)
 बब्बर, श्री राज (फिरोजाबाद)
 बनर्जी, कुमारी ममता (कोलकाता दक्षिण)
 बनर्जी, श्री अम्बिका (हावड़ा)
 बनर्जी, श्री कल्याण (श्रीरामपुर)
 बर्क, डॉ. शफीकुर्रहमान (संभल)
 बलराम, श्री पी. (महबूबाबाद)
 बलीराम, डॉ. (लालगंज)
 बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी. (पोन्नानी)
 बासवराज, श्री जी.एस. (टुमकुर)
 बहुगुणा, श्री विजय (टिहरी गढ़वाल)

- बाइते, श्री थांगसो (बाह्य मणिपुर)
 बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)
 बाजवा, श्री प्रताप सिंह (गुरदासपुर)
 बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर (भटिंडा)
 बापीराजू, श्री के. (नरसापुरम)
 बाबर, श्री गजानन ध. (मावल)
 'बाबा', श्री के.सी. सिंह (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर)
 बालू, श्री टी.आर. (श्रीपेरूमबुदूर)
 बाल्मीकि, श्री कमलेश (बुलन्दशहर)
 बावलिया, श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई (राजकोट)
 बासके, श्री पुलीन बिहारी (झाड़ग्राम)
 बिसवाल, श्री हेमानंद (सुन्दरगढ़)
 बिजू, श्री पी.के. (अलथूर)
 बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह (खजुराहो)
 बेग, डॉ. मिर्जा महबूब (अनंतनाग)
 बेसरा, श्री देवीधन (राजमहल)
 बैठा, श्री कामेश्वर (पलामू)
 बैरवा, श्री खिलाड़ी लाल (करौली-धोलपुर)
 बैस, श्री रमेश (रायपुर)
 बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर (कोकराझार)
 भगत, श्री सुदर्शन (लौहरदगा)
 भगोरा, श्री ताराचन्द (बांसावाड़ा)
 भजन लाल, श्री (हिसार)
 भडाना, श्री अवतार सिंह (फरीदाबाद)
 भुजबल, श्री समीर (नासिक)
 भूरिया, श्री कांति लाल (रतलाम)
 भैया, श्री शिवराज (दमोह)
 भोंसले, श्री उदयनराजे (सतारा)
 भोई, श्री संजय (बारगढ़)
 मंडल, डॉ. तरुण (जयनगर)
 मंडल, श्री मंगनी लाल (झंझारपुर)
 मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा (कोल्हापुर)
 मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार (बलूरघाट)
 मणि, श्री जोस के. (कोट्टयम)
 मणियन, श्री ओ.एस. (मईलादुतुरई)
- मरांडी, श्री बाबू लाल (कोडरमा)
 मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह (सोनीपत)
 मलिक, श्री शक्ति मोहन (आरामबाग)
 मसराम, श्री बसोरी सिंह (मंडला)
 महन्त, डॉ. चरण दास (कोरबा)
 महताब, श्री भर्तृहरि (कटक)
 महतो, श्री नरहरि (पुरुलिया)
 महतो, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (वाल्मीकिनगर)
 महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
 महापात्र, श्री सिद्धांत (बरहामपुर)
 महाराज, श्री सतपाल (गढ़वाल)
 माकन, श्री अजय (नई दिल्ली)
 माझी, श्री प्रदीप (नवरंगपुर)
 मांझी, श्री हरि (गया)
 मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई (जामनगर)
 मारन, श्री दयानिधि (चेन्नई मध्य)
 मित्रा, श्री सोमेन (डायमंड हार्बर)
 मिर्धा, डॉ. ज्योति (नागौर)
 मिश्र, श्री गोविन्द प्रसाद (सीधी)
 मिश्रा, श्री पिनाकी (पुरी)
 मिश्रा, श्री महाबल (पश्चिम दिल्ली)
 मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल (दौसा)
 मीणा, श्री नमोनारायन (टोंक-सवाई माधोपुर)
 मीणा, श्री रघुवीर सिंह (उदयपुर)
 मैक्लोड, श्रीमती इन्ग्रिड (नामनिर्देशित)
 मुंडा, श्री अर्जुन (जमशेदपुर)
 मुंडे, श्री गोपीनाथ (बीड)
 मुखर्जी, श्री प्रणब (जंगीपुर)
 मुंडा, श्री कड़िया (खूंटी)
 मुत्तेमवार, श्री विलास (नागपुर)
 मुनियप्पा, श्री के.एच. (कोलार)
 मेघवाल, श्री अर्जुन राम (बीकानेर)
 मेघवाल, श्री भरत राम (श्रीगंगानगर)
 मेघे, श्री दत्ता (वर्धा)
 मैन्या, डॉ. थोकचोम (आंतरिक मणिपुर)

मोडली, श्री एम. वीरप्पा (चिकबल्लापुर)	रामशंकर, प्रो. (आगरा)
मोहन, श्री पी.सी. (बंगलौर मध्य)	रामासुब्बू, श्री एस. (तिरुनेलवेली)
यादव, श्री अखिलेश (कन्नौज)	राय, श्री अर्जुन (सीतामढ़ी)
यादव, श्री अरुण (खंडवा)	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ (कूच बिहार)
यादव, श्री अंजनकुमार एम. (सिकन्दराबाद)	राय, श्री प्रेम दास (सिक्किम)
यादव, श्री ओम प्रकाश (सिवान)	राय, श्री महेन्द्र (जलपाईगुडी)
यादव, श्री दिनेश चन्द्र (खगड़िया)	राय, श्री रूद्रमाधव (कंधमाल)
यादव, श्री धर्मेन्द्र (बदायूं)	राय, श्री विष्णु पद (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)
यादव, श्री मधुसूदन (राजनांदगांव)	राय, प्रो. सौगत (दमदम)
यादव, श्री मुलायम सिंह (मैनपुरी)	राय, श्रीमती शताब्दी (बीरभूम)
यादव, प्रो. रंजन प्रसाद (पाटलिपुत्र)	राव, श्री के. नारायण (मछलीपट्टनम)
यादव, श्री रमाकान्त (आजमगढ़)	राव, डॉ. के.एस. (एलूरू)
यादव, श्री शरद (मधेपुरा)	राव, श्री के. चन्द्रशेखर (महबूबनगर)
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण (मधुबनी)	राव, श्री नामा नागेश्वर (खम्माम)
यास्वी, श्री मधु गौड (निजामाबाद)	राव, श्री रायापति सांबासिवा (गुंटूर)
रहमान, श्री अब्दुल (वेल्लोर)	रावत, श्री अशोक कुमार (मिसरिख)
राघवन, श्री एम.के. (कोझिकोड)	रावत, श्री हरीश (हरिद्वार)
राघवेन्द्र, श्री बी.वाई. (शिमोगा)	रियान, श्री बाजू बन (त्रिपुरा पूर्व)
राजगोपाल, श्री एल. (विजयवाड़ा)	रुआला, श्री सी.एल. (मिजोरम)
राजभर, श्री रमाशंकर (सलेमपुर)	रेड्डी, श्री अनंत वेंकटरामी (अनंतपुर)
राजा, श्री ए. (नीलगिरि)	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन (नेल्लोर)
राजुखेड़ी, श्री गजेन्द्र सिंह (धार)	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु (ऑंगोले)
राजू, श्री एम.एम. पल्लम (काकीनाडा)	रेड्डी, श्री एस. जयपाल (चेवेल्ला)
राजेन्द्रन, श्री सी. (चेन्नै दक्षिण)	रेड्डी, श्री एस.पी.वाई. (नांदयाल)
राजेश, श्री एम.बी. (पालक्काड़)	रेड्डी, श्री के.आर.जी. (भोंगीर)
राठवा, श्री रामसिंह (छोटा उदयपुर)	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी. (कुरनूल)
राठौड़, श्री रमेश (आदिलाबाद)	रेड्डी, श्री गुथा सुखेन्द्र (नलगोंडा)
राणा, श्री कादिर (मुजफ्फरनगर)	रेड्डी, श्री एम. वेणुगोपाल (नरसारावपेट)
राणा, श्री जगदीश सिंह (सहारनपुर)	लक्ष्मी, श्रीमती पनबाका (बापतला)
राणा, श्री राजेन्द्रसिंह (भावनगर)	लागुरी, श्री यशवंत (क्योंझर)
राणे, श्री निलेश नारायण (रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग)	लाल, श्री पकौड़ी (राबर्ट्सगंज)
रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई (पोरबंदर)	लालू प्रसाद, श्री (सारण)
राम, श्री पूर्णमासी (गोपालगंज)	लिंगम, श्री पी. (तेनकासी)
रामकिशुन, श्री (चन्दौली)	वर्धन, श्री हर्ष (महाराजगंज, उ.प्र.)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (वडकरा)	वर्मा, श्री बेनी प्रसाद (गोंडा)

वर्मा, श्री सज्जन (देवास)	सचान, श्री राकेश (फतेहपुर)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (हरदोई)	सत्पथी, श्री तथागत (ढेंकानाल)
वसावा, श्री मनसुखभाई डी. (भरूच)	सत्यनारायण, श्री सर्वे (मल्काजगिरि)
वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम (शिरडी)	सम्पत, श्री ए. (अटिंगल)
वानखेडे, श्री सुभाष बापूराव (हिंगोली)	सरोज, श्री तूफानी (मछलीशहर)
वासनिक, श्री मुकुल (रामटेक)	सरोज, श्रीमती सुशीला (मोहनलालगंज)
विजय शान्ति, श्रीमती एम. (मेडक)	सहाय, श्री सुबोध कांत (रांची)
विजयन, श्री ए.के.एस. (नागापट्टिनम)	साई प्रताप, श्री ए. (राजमपेट)
विवेकानंद, डॉ. जी. (पेड्डापल्ली)	साय, श्री विष्णु देव (रायगढ़)
विश्वनाथ, श्री अदगुरू एच. (मैसूर)	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी (दक्षिण गोवा)
विश्वनाथ काट्टी, श्री रमेश (चिक्कोडी)	साहा, डॉ. अनूप कुमार (बर्धमान उत्तर)
विश्वनाथन, श्री पी. (कांचीपुरम)	साहू, श्री चंदूलाल (महासमुंद)
वुंडावल्ली, श्री अरुण कुमार (राजामुन्दरी)	सिंगला, श्री विजय इन्दर सिंह (संगरूर)
वेणुगोपाल, श्री के.सी. (अलप्पुझा)	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधराव (गुना)
वेणुगोपाल, डॉ. पी. (तिरुवल्लूर)	सिंधिया, श्रीमती यशोधर राजे (ग्वालियर)
व्यास, डॉ. गिरिजा (चित्तौड़गढ़)	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण (बोलंगिर)
तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल (संत कबीर नगर)	सिंह, कुंवर आर.पी.एन. (कुशीनगर)
शर्मा, डॉ. अरविंद कुमार (करनाल)	सिंह, चौधरी लाल (उधमपुर)
शर्मा, श्री जगदीश (जहानाबाद)	सिंह, डॉ. रघुवंश प्रसाद (वैशाली)
शर्मा, श्री मदन लाल (जम्मू)	सिंह, डॉ. संजय (सुल्तानपुर)
शानवास, श्री एम.आई. (वयनाड)	सिंह, राजकुमारी रत्ना (प्रतापगढ़)
शांता, श्रीमती जे. (बेल्लारी)	सिंह, राव इन्द्रजीत (गुडगांव)
शारिक, श्री शरीफुद्दीन (बारामूला)	सिंह, श्री अजित (बागपत)
शिंदे, श्री सुशीलकुमार (शोलापुर)	सिंह, श्री इज्यराज (कोटा)
शिवकुमार, श्री के. उर्फ जे.के. रितीश (रामनाथपुरम)	सिंह, श्री उदय (पूर्णिया)
शिवप्रसाद, डॉ. एन. (चित्तूर)	सिंह, श्री उदय प्रताप (होशंगाबाद)
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील (शिरूर)	सिंह, श्री उमाशंकर (महाराजगंज, बिहार)
शिवासामी, श्री सी. (तिरूपुर)	सिंह, श्री एन. धरम (बीदर)
शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन (करीमगंज)	सिंह, श्री कल्याण (एटा)
शुक्ला, श्री बालकृष्ण खांडेराव (वडोदरा)	सिंह, श्री गणेश (सतना)
शेखर, श्री नीरज (बलिया)	शेखावत, श्री गोपाल सिंह (राजसमंद)
शेटकर, श्री सुरेश कुमार (जहीराबाद)	सिंह, श्री जगदानंद (बक्सर)
शेट्टी, श्री राजू (हातकंगले)	सिंह, श्री जसवंत (दार्जिलिंग)
संगमा, कुमारी अगाथा (तुरा)	सिंह, श्री जितेन्द्र (अलवर)
सईद, श्री हमदुल्लाह (लक्षद्वीप)	सिंह, श्री दुष्यंत (झालावाड़)

सिंह, श्री धनंजय (जौनपुर)
 सिंह, श्री पशुपति नाथ (धनबाद)
 सिंह, श्री प्रदीप कुमार (अररिया)
 सिंह, श्री ब्रजभूषण शरण (कैसरगंज)
 सिंह, श्री भूपेन्द्र (सागर)
 सिंह, डॉ. भोपाल (नवादा)
 सिंह, श्री महाबली (काराकाट)
 सिंह, श्री मुरारी लाल (सरगुजा)
 सिंह, श्री यशवीर (नगीना)
 सिंह, श्री रतन (भरतपुर)
 सिंह, श्री रवनीत (आनंदपुर साहिब)
 सिंह, श्री राकेश (जबलपुर)
 सिंह, श्री राजनाथ (गाजियाबाद)
 सिंह, श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)
 सिंह, श्री राधा मोहन (पूर्वी चम्पारण)
 सिंह, श्री रेवती रमन (इलाहाबाद)
 सिंह, श्री विजय बहादुर (हमीरपुर, उ.प्र.)
 सिंह, श्री वीरभद्र (मंडी)
 सिंह, श्री सुखदेव (फतेहगढ़ साहिब)
 सिंह, श्री सुशील कुमार (औरंगाबाद)
 सिंह, श्रीमती मीना (आरा)
 सिंह, श्रीमती राजेश नंदिनी (शहडोल)
 सिद्धेश्वर, श्री जी.एम. (दावणगेरे)
 सिद्ध, श्री नवजोत सिंह (अमृतसर)
 सिन्हा, श्री यशवंत (हजारीबाग)
 सिन्हा, श्री शत्रुघ्न (पटना साहिब)
 सिब्बल, श्री कपिल (चांदनी चौक)
 सिरिसिल्ला, श्री ई.जी. (कृष्णागिरि)
 सुगुमार, श्री के. (पोल्लाची)

सुधाकरण, श्री के. (कन्नूर)
 सुमन, श्री कबीर (जादवपुर)
 सुरेश, श्री कोडिकुन्नील (मावेलीकारा)
 सुले, श्रीमती सुप्रिया (बारामती)
 सुशान्त, डॉ. राजन (कांगड़ा)
 सेठी, श्री अर्जुन चरण (भद्रक)
 सेम्मलई, श्री एस. (सलेम)
 सैलजा, कुमारी (अम्बाला)
 सोरेन, श्री शिवू (दुमका)
 सोलंकी, डॉ. किरिट प्रेमजीभाई (अहमदाबाद पश्चिम)
 सोलंकी, श्री दीनूभाई (जूनागढ़)
 सोलंकी, श्री भरतसिंह (आनन्द)
 सोलंकी, श्री मकनसिंह (खरगौन)
 स्वराज, श्रीमती सुष्मा (विदिशा)
 स्वामी, श्री जनार्दन (चित्रदुर्ग)
 स्वामी, श्री एन. चेलुवरया (मांड्या)
 हक, श्री मोहम्मद असरारूल (किशनगंज)
 हक, शेख सैदुल (बर्धमान-दुर्गापुर)
 हजारी, श्री महेश्वर (समस्तीपुर)
 हरि, श्री सब्बम (अनाकापल्ली)
 हर्ष कुमार, श्री जी.वी. (अमलापुरम)
 हल्दर, डॉ. सुचारू रंजन (रणघाट)
 हसन, डॉ. मोनाजिर (बेगूसराय)
 हसन, श्रीमती तबस्सुम (कैराना)
 हान्डिक, श्री बी.के. (जोरहाट)
 हुड्डा श्री दीपेन्द्र सिंह (रोहतक)
 हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान (मुर्शिदाबाद)
 हुसैन, श्री इस्माइल (बारपेटा)
 हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज (भागलपुर)
 हेगड़े, श्री अनंत कुमार (उत्तर कन्नड़)

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य

श्री पी.सी. चाको

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री इन्दर सिंह नामधारी

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना

श्री अर्जुन चरण सेठी

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह

डॉ. एम. तम्बिदुरई

श्री बेनी प्रसाद वर्मा

डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

मंत्रिपरिषद्

कैबिनेट मंत्री

डॉ. मनमोहन सिंह

श्री प्रणब मुखर्जी

श्री शरद पवार

श्री ए.के. एंटनी

श्री पी. चिदम्बरम

कुमारी ममता बनर्जी

श्री एस.एम. कृष्णा

श्री वीरभद्र सिंह

श्री विलासराव देशमुख

श्री गुलाम नबी आजाद

श्री सुशीलकुमार शिंदे

श्री एम. वीरप्पा मोइली

डॉ. फारूख अब्दुल्ला

श्री एस. जयपाल रेड्डी

श्री कमल नाथ

श्री वायालार रवि

श्री दयानिधि मारन

श्री मुरली देवरा

श्रीमती अम्बिका सोनी

श्री मल्लिकार्जुन खरगे

श्री कपिल सिब्बल

श्री बी.के. हाण्डिक

श्री आनन्द शर्मा

डॉ. सी.पी. जोशी

कुमारी सैलजा

प्रधान मंत्री तथा उन मंत्रालयों विभागों के भी प्रभारी, जो विशेष रूप से किसी अन्य मंत्री को आबंटित नहीं किए गए हैं; जैसे:

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय;

(2) योजना मंत्रालय;

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग; और

(4) अंतरिक्ष विभाग

वित्त मंत्री

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री

रक्षा मंत्री

गृह मंत्री

रेल मंत्री

विदेश मंत्री

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

विद्युत मंत्री

विधि और न्याय मंत्री

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

शहरी विकास मंत्री

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री

वस्त्र मंत्री

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री

सूचना और प्रसारण मंत्री

श्रम और रोजगार मंत्री

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री

श्री सुबोध कांत सहाय
डॉ. एम.एस. गिल
श्री जी.के. वासन
श्री पवन कुमार बंसल
श्री मुकुल वासनिक
श्री कांति लाल भुरिया
श्री एम.के. अलागिरी
श्री प्रफुल पटेल
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
श्री सलमान खुर्शीद

पर्यटन मंत्री
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री
पोत परिवहन मंत्री
संसदीय कार्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्री
रसायन और उर्वरक मंत्री
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
कोयला मंत्री
जल संसाधन मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री दिनशा पटेल
श्रीमती कृष्णा तीरथ
श्री जयराम रमेश
श्री अजय माकन
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
प्रो. के.वी. थॉमस

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री
महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री
पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री
इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री

राज्य मंत्री

श्री श्रीकांत जेना	रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ई. अहमद	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री वी. नारायणसामी	संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री के.एच. मुनियप्पा	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री नमोनारायन मीणा	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एम.एम. पल्लमराजू	रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
प्रो. सौगत राय	शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस.एस. पलानीमनिकम	वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री जितिन प्रसाद	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री ए. साई प्रताप	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्रीमती परनीत कौर	विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री गुरुदास कामत	गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री हरीश रावत	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री भरतसिंह सोलंकी	रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री महादेव सिंह खंडेला	जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री दिनेश त्रिवेदी	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री शिशिर अधिकारी	ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सुल्तान अहमद	पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री मुकुल राय	पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री चौधरी मोहन जतुआ	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री डी. नैपोलियन	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. एस. जगतरक्षकन	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री एस. गांधीसेलवन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
डॉ. तुषार चौधरी	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री सचिन पायलट	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री अरुण यादव	कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

श्री प्रतीक पाटील
श्री आर.पी.एन. सिंह

श्री विन्सेंट एच. पाला
श्री प्रदीप जैन
कुमारी अगाथा संगमा
श्री अश्विनी कुमार

श्री के.सी. वेणुगोपाल

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
में राज्य मंत्री

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, विज्ञान और
प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री
विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा वाद-विवाद

खण्ड 15

पंद्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र का पहला दिन

अंक 1

लोक सभा

सोमवार, 21 फरवरी, 2011/2 फाल्गुन, 1932 (शक)

लोक सभा अपराह्न 12.25 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं]

राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान की धुन बजाई गई)

अपराह्न 12.26 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाषायी और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 फरवरी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

निःसंदेह बच्चे के लालन-पालन और विकास में मातृभाषा की अहम भूमिका होती है। पूरी दुनिया के लोगों के बीच संचार, परस्पर-संवाद और आपसी समझ-बूझ के माध्यम के रूप में भाषाओं को बढ़ावा देते हुए हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में सहायता प्रदान करने और उसे पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है।

अपनी भाषायी तथा अन्य विविधताओं के बावजूद भारत एक समष्टिपरक देश के रूप में उभरा है। अवसर पर हम भाषा सीखने तथा हमारी और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्ध भाषायी विविधता बनाए रखने हेतु नीति विकसित करने के हमारे प्रयासों को और आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराते हैं।

अपराह्न 12.27 बजे

राष्ट्रपति का अभिभाषण*

[अनुवाद]

महासचिव: मैं 21 फरवरी, 2011 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[हिन्दी]

**माननीय सदस्यगण,

नए दशक के प्रथम सत्र में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन। आशा है, यह सत्र पूरी तरह सफल और सहयोगी रहेगा।

माननीय सदस्यगण,

बादल फटने की विनाशकारी घटना से प्रभावित लद्दाख की जनता के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। इस घटना के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित जान-माल की हानि हुई। मेरी सरकार ने प्रभावित लोगों के तत्काल राहत और पुनर्वास के लिए कारगर उपाय किए हैं और वह तत्परता के साथ शेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल ही में, पंडित भीमसेन जोशी के देहावसान के कारण राष्ट्रीय क्षति हुई है। इससे हमारे सांस्कृतिक जीवन में जो सूनापन उत्पन्न हुआ है, उसकी भरपाई कर पाना कठिन होगा।

माननीय सदस्यगण,

पिछले वर्ष अक्टूबर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल पूर्णतः सफल रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अप्रत्याशित संख्या में पदक हासिल किए। दिल्ली के नागरिकों ने अनुकरणीय अनुशासन और शिष्टाचार का परिचय दिया। हमें इन उपलब्धियों पर गर्व है।

माननीय सदस्यगण,

पिछले वर्ष देश कठिनाइयों से गुजरा है। देश में मुद्रास्फीति एक समस्या बनी रही। हमारे देश के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिये संख्या एलटी 3882/15/2011

**भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील ने केन्द्रीय कक्ष में हिन्दी में अभिभाषण दिया। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री मोहम्मद हामिद अंसारी ने अभिभाषण का अंग्रेजी पाठ पढ़ा।

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और कश्मीर घाटी में भारी संख्या में हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो अस्वीकार्य है। कुछ तबकों की यह शिकायत रही है कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों को दिया जाने वाला लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है।

वर्ष 2011-2012 में मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं इस प्रकार होंगी:

- (i) मुद्रास्फीति को रोकना और विशेष रूप से बढ़ते खाद्य मूल्यों के प्रभाव से आम जनता को राहत पहुंचाना;
- (ii) सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रमुखता के आधार पर निपटाना;
- (iii) समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक विकास में उपयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना;
- (iv) आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मामलों में अचूक सतर्कता बनाए रखना; और
- (v) ऐसी विदेश नीति को जारी रखना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्व मंच पर हमारी आवाज सुनी जाए और हमारे हित सुरक्षित रहें।

प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां सही सिद्ध हुई हैं। बहरहाल, हमें आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए। घरेलू वातावरण को निवेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। सार्वजनिक व निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें व्यापक स्तर पर आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखना होगा।

मेरी सरकार आम आदमी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को चुनौती देने वाली मुद्रास्फीति से अत्यधिक चिंतित है। मुद्रास्फीति के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय उपाय किए हैं। महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। खाद्य तेल और दाल जैसे पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती मूल्यों पर दालों की आपूर्ति की जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निदेश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सब्जियां उपलब्ध करवाने के लिए और अधिक खुदरा बिक्री-केन्द्र स्थापित करें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली

के लिए चावल और गेहूं के निर्गम मूल्यों में पिछले आठ वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। इन उपायों के परिणाम सामने आ रहे हैं। अनाज के मूल्य भी अब नियंत्रण में हैं, जबकि पिछले वर्ष यह अत्यधिक चिंता का कारण बना हुआ था। वस्तुतः पिछले नवंबर तक मुद्रास्फीति की दर गिरावट की थी, किंतु इसके बाद कुछ राज्यों में बेमौसम बरसात के कारण सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि हुई। नई फसल के आने के बाद मूल्यों में पुनः गिरावट आई है।

उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि से ही इस समस्या का दीर्घावधिक समाधान संभव है। मेरी सरकार ने फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को अनेक प्रोत्साहन दिए हैं। पिछले छह वर्षों की अवधि में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ने के समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। हम किसानों को रियायती दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति के माध्यम से प्रोत्साहन देते आ रहे हैं। पोषक-तत्व आधारित नई व्यवस्था से उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग में वृद्धि होने की संभावना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ने हरित क्रांति को पूर्वी भारत तक पहुंचा दिया है। कृषि क्षेत्र में ऋण सुविधाओं में रिकॉर्ड स्तर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 से अब तक लगभग एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सुनिश्चित सिंचाई की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण के उपाय युद्ध स्तर पर किए गए हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें अपने उत्पाद बेरोकटोक उपभोक्ताओं को बेचने का सुयोग मिलना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम अधिकांशतः राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस दिशा में निवेश बढ़ाने और राज्यों को उपयुक्त प्रोत्साहन देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

मैंने खाद्य सुरक्षा कानून लाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में घोषणा की थी। इससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को अत्यधिक रियायती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी हक मिल जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों के साथ इस संबंध में परामर्श किया जा रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अपेक्षित सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर है।

माननीय सदस्यगण,

हमारी जनता सुशासन की हकदार है; यह उनका प्राप्य है और हमारा दायित्व। मेरी सरकार शासन की गुणता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रियों का एक समूह भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वैधानिक, प्रशासनिक तथा अन्य सभी उपायों पर विचार कर रहा है। यह समूह सार्वजनिक क्रय नीति तैयार करने और सार्वजनिक क्रय मानक निर्धारित करने, मंत्रियों को प्रदत्त विवेकाधिकारों की समीक्षा कर उन्हें समाप्त करने, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए खुली और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था प्रारंभ करने, भ्रष्टाचार के आरोपी लोकसेवकों के विरुद्ध तीव्र गति से अभियोजन चलाने और उनके विरुद्ध द्रुत कार्यवाही करने के लिए कानूनों में यथोचित संशोधन करने संबंधी मामलों पर विचार करेगा। उक्त समूह चुनाव पर होने वाले खर्च के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के संबंध में भी विचार करेगा। मंत्रीसमूह की रिपोर्ट शीघ्र ही आने वाली है। विसल ब्लोअर विधेयक संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक कन्वेंशन का अनुमोदन करने का भी निर्णय लिया है।

वर्षों से चुनाव सुधार के बारे में बहस होती रही है। मुझे विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल राजनीतिक विचारधारों से ऊपर उठकर ऐसे सुधारों को लागू करने का समर्थन करेंगे। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने चुनाव सुधार की प्रक्रिया को गति देने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने संबंधित सहभागियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस वर्ष अप्रैल में राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के साथ यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आशा है कि परामर्श की इस प्रक्रिया से सुधारों की स्वीकार्य कार्यसूची पर आम सहमति बन पाएगी।

न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाना और मामलों को निपटाने में होने वाले विलंब को कम करना मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। न्याय प्रदान करने एवं विधिक सुधारों के बारे में राष्ट्रीय मिशन संबंधी प्रारूप को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इससे प्रक्रिया में बदलाव आएगा, इस क्षेत्र में मानव संसाधन बेहतर होंगे और इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग हो पाएगा। न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक पहले ही संसद में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक का आशय न्यायपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है ताकि न्यायपालिका की छवि में सुधार हो और उसकी क्षमता में वृद्धि हो सके।

माननीय सदस्यगण,

हाल ही में, काले धन, विशेषकर विदेशी बैंकों में कथित रूप से छिपाकर रखे गए काले धन संबंधी मामलों की ओर लोगों का ध्यान गया है। सरकार काले धन के दुष्प्रभाव संबंधी चिंताओं से सहमत है, चाहे वह ईमानदारी से की गई कमाई पर देय कर की चोरी से एकत्र किया गया धन हो या फिर गैर-कानूनी तरीके से कमाया गया हो। मेरी सरकार इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार की एजेंसियों सहित कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को गंभीर और निरन्तर प्रयास करने होंगे।

मेरी सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत बनाने, नई संस्थाओं का गठन करने और उनकी क्षमता में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस समस्या से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपयुक्त कार्यनीति की सिफारिश करने के लिए एक बहु-प्रयोजनीय अध्ययन करवाया गया है। सरकार ऐसे काले धन की पहचान करने और उसे वापस लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर जी-20 के साथ निरंतर कार्य कर रही है। हवाला कारोबार निरोधक और कर-चोरी निरोधक उपायों के मद्देनजर भारत अब वित्तीय कार्य संबंधी कार्यबल का सदस्य बन गया है। इसके अलावा भारत यूरो-एशियाई समूह और वित्तीय सुव्यवस्था तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यबल का भी सदस्य बन गया है। मेरी सरकार ने उन देशों और संस्थाओं के साथ कर संबंधी सुचनाओं के सुचारू और सुलभ आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जहां भारतीय नागरिकों द्वारा अपना धन छिपाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं। इसके आरंभिक परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इन उपायों के परिणामस्वरूप कर के रूप में 34,601 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली हुई और 48,784 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का पता चला। मेरी सरकार विदेशों में जमा भारत की धन-संपदा को वापस लाने और दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

माननीय सदस्यगण,

विकास के लिए ढांचागत सुविधाओं का होना महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार ने ढांचागत सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया निवेश दसवीं पंचवर्षीय योजना में किए गए निवेश के दोगुने से भी अधिक है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस राशि को और दोगुना किए जाने का प्रस्ताव है।

निवेश के लिए इतनी बड़ी धनराशि की व्यवस्था अकेले सरकार द्वारा नहीं की जा सकती। इसके लिए निजी भागीदारों के सहयोग की जरूरत भी पड़ेगी। इस संदर्भ में मेरी सरकार ने एक पारदर्शी सार्वजनिक-निजी भागीदारी व्यवस्था के लिए वांछित रूपरेखा तैयार की है। पिछले वर्ष ढांचागत क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में निजी क्षेत्र की भागीदारी 34 प्रतिशत रही।

भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से कनेक्शनों की संख्या लगभग 80 करोड़ हो गई है। हमारा वायरलेस नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मेरी सरकार मोबाइल और ब्रॉड बैंड सेवा का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक करने के लिए ठोस कदम उठा रही है।

मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले सभी शहरों तक निजी एफएम रेडियो सेवा उपलब्ध करवाई जाए। 283 शहरों में कुल 806 नए एफएम रेडियो चैनल स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूहों में भावी एफएम रेडियो को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है।

निरन्तर तेजी से आगे बढ़ती हमारी समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की अहम भूमिका है। हालांकि, बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप क्षमता में वृद्धि हुई है, इसके बावजूद बिजली की कमी बरकरार है। मेरी सरकार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी गांवों के पूर्ण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। किसानों सहित सभी को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति करना तभी संभव होगा जब हमारा विद्युत क्षेत्र और अधिक सक्षम होगा। अतः विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए, विशेषकर राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

मेरी सरकार कोयला क्षेत्र को और अधिक कुशल, उत्पादनकारी, पर्यावरण अनुकूल और उपभोक्तापरक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए कैप्टिव खानों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र की खानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन ने भी कार्य करना आरंभ कर दिया है। वर्ष 2020 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 20,000 मेगावाट की वृद्धि करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है।

मेरी सरकार का यह मानना है कि देश की खनिज संपदा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है जिसका दोहन तीव्र औद्योगिक विकास

और समावेशी आर्थिक प्रगति के लिए किया जाना चाहिए। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाने का प्रस्ताव है जो अन्य उपायों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय समुदायों को भी विकास प्रक्रिया का पर्याप्त लाभ प्राप्त हो।

आर्थिक प्रगति की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए एक सक्षम, विश्वसनीय और सुरक्षित परिवहन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने एकीकृत और स्थायी परिवहन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नीति तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति संबंधी समिति गठित की है।

विमान पत्तनों का विकास कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले वर्ष दिल्ली में एक आधुनिकतम टर्मिनल चालू किया गया। इससे इस क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सहायता से विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधाओं की एक नई शुरुआत हुई है।

अक्टूबर, 2010 में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय नौपरिवहन द्वारा की जाने वाली दुलाई से प्राप्त होने वाले कर का आंकड़ा एक करोड़ को भी पार कर गया। जनवरी, 2011 में भारतीय पत्तनों की क्षमता एक सौ करोड़ टन प्रतिवर्ष को भी पार कर गई है।

भारतीय रेल ने तीव्र विकास, अपने नेटवर्क के द्रुत विस्तार तथा क्षमता में वृद्धि करने और आधुनिकीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर पर कार्य शुरू हो गया है।

राजमार्गों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। लगभग 16,000 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। मेरी सरकार ने एक विशेष परियोजना के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 1,100 किलोमीटर से अधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 4,300 किलोमीटर से भी अधिक लंबे राजमार्गों के विकास के लिए एक योजना अनुमोदित की है। अरुणाचल प्रदेश के सड़क तथा राजमार्ग संबंधी पैकेज में लगभग 2,300 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया जाएगा जिसके अंतर्गत जून, 2015 तक अरुणाचलपारीय राजमार्ग के पूरा होने की संभावना है।

वैश्विक मंदी के बावजूद भारत भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन की अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 हजार बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।

मेरी सरकार देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय तेल कंपनियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रही है

कि वे विदेशों में तेल और गैस इक्विटी के लिए जोर-शोर से अवसरों की तलाश करें। देश में मौजूद हाइड्रोकार्बन के भण्डारों का दोहन करने के लिए अन्वेषण संबंधी नई लाईसेंस नीति का नौवां दौर शुरू हो चुका है। शेल गैस की संभावनाओं का पता लगाने और उनका दोहन करने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की गई हैं ताकि उन्हें उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने में सुविधा हो। ऐसे क्षेत्रों में होने वाले निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा की वृद्धि हुई जो 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्ग पर कार्य चल रहा है, जिसके चालू होने पर विनिर्माण उद्योग के लिए यह विश्वस्तरीय ढांचागत सुविधा होगी।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र उत्पादन, रोजगार के अवसरों का सृजन करने और निर्यात में भागीदारी सुनिश्चित करने के मामले में अपनी गति को बरकरार रखे हुए है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट के आधार पर जल्दी ही नई पहल की जाएंगी।

खादी उद्योग क्षेत्र भारी संख्या में रोजगार प्रदान करता है। खादी और ग्रामीण इकाइयां एक करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। इस संबंध में एक व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

मेरी सरकार समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास और सशक्तीकरण के लिए निरन्तर प्रयासरत है। अभी तक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत 10 लाख हक-विलेखों का वितरण किया जा चुका है। अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजाति उप-योजना संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है ताकि उनके लक्ष्य कारगर ढंग से पूरे किए जा सकें। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिकल्पित कार्यों को अब अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों के सदस्यों की निजी भूमि पर किया जा सकता है। छात्रवृत्ति की दरों में संशोधन किया गया है जिससे अनुसूचित जातियों के 45 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की सहायता के लिए निर्धारित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 38 लाख से भी अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। माननीय सदस्यगण, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन लाभार्थियों में लगभग आधी संख्या छात्राओं की है। राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या में भी वृद्धि की गई है।

वर्ष 2004 में, मेरी सरकार ने भारत निर्माण नामक एक अभिनव कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत कमियों को दूर करके गांवों और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया। इसका दूसरा चरण वर्ष 2009 में शुरू हुआ।

अब तक लगभग 90 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लगभग 1.40 करोड़ परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र को शामिल करने और ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2014 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिशत से अधिक लोगों को दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है। अगले तीन वर्षों में सभी पंचायतों को ब्रॉड बैंड सेवा से जोड़ दिया जाएगा।

ऐसी 55 हजार बस्तियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने का प्रारंभिक लक्ष्य लगभग प्राप्त कर लिया गया है जहां अब तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं था; अब ऐसी केवल 103 बस्तियां ही बची हैं जिन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। भारत निर्माण के प्रथम चरण में 70 लाख मकान बनाए गए थे। अब, वर्ष 2009-14 के दौरान मेरी सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 120 लाख मकान बनाने का है और इनमें से 45 लाख मकान पहले ही बनाए जा चुके हैं।

मेरी सरकार ने संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। राज्य सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और मुझे पूरी आशा है कि लोक सभा द्वारा इस पर शीघ्र ही विचार किया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण संबंधी विधेयक भी संसद में पेश किया गया है। मेरी सरकार का, बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के संबंध में भी एक विधेयक लाने का प्रस्ताव है।

वृद्धों और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने के लिए मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए 'स्वावलंबन' नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है।

आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मेरी सरकार ने रवीन्द्र नाथ टैगोर और स्वामी विवेकानन्द के 150वें जयंती समारोहों को भव्यता से मनाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

माननीय सदस्यगण,

किसी भी सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र के लिए जरूरी है कि उसके नागरिक स्वस्थ और शिक्षित हों। पिछले सात वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि हमारी भावी पीढ़ियां स्वस्थ, सुशिक्षित और सक्षम हों ताकि वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। भारत विश्व के उन कुछ देशों में से एक है जहां कार्य करने के अधिकार को कानूनी गारंटी दी गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में गरीबों के लिए प्रभावी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत उन्हें 100 रुपए प्रतिदिन की दर से 100 दिन के लिए सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसे जीवन-निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में लगभग 5.25 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। पारदर्शिता, सुविधा और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 करोड़ खाते खोले गए हैं।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम मेरी सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जो अधिकारपरक शासन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उजागर करता है। सर्व शिक्षा अभियान को इस अधिनियम के कार्यान्वयन से जोड़ा गया है। प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने के लिए इसमें दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि अधिक संख्या में बच्चे दाखिला लें और पढ़ाई अधूरी छोड़कर न जाएं।

मेरी सरकार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,500 ब्लॉकों में से प्रत्येक ब्लॉक में लड़कियों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था की जा रही है ताकि लड़कियों को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के लिए साक्षर भारत कार्यक्रम तैयार किया गया है। वर्ष 2012 तक उन 365 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा, जहां पर प्रौढ़ महिला साक्षरता दर कम है।

एक युवा राष्ट्र होने के नाते हमारा देश लाभप्रद स्थिति में है। यदि हमें अपनी जनसांख्यिकीय संपदा से लाभ उठाना है तो हमें अपने युवाओं को कुशल बनाने पर ध्यान देना होगा। विभिन्न क्षेत्रों में कौशल संबंधी कमी को पूरा करने के लिए मेरी सरकार बड़ी संख्या में मॉड्यूलर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और कौशल आधारित प्रशिक्षणों को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षा अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए कदम उठा रही है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी व्यापक जरूरत को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देने के

लिए अभी तक राज्यों को 53 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी वाले 235 जिलों के स्वास्थ्य उप केन्द्रों में 53,500 से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त करने की स्वीकृति दी है। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2005-06 में लगभग छह लाख थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर एक करोड़ के करीब पहुंच गई। इस योजना से हुए लाभ को शिशु मृत्यु दर में आई गिरावट में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

मेरी सरकार ने कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के अधीन तीस वर्ष से अधिक उम्र के 15 करोड़ से अधिक लोग और सभी आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच हो पाएगी।

माननीय सदस्यगण,

सतत् आर्थिक विकास के लिए उच्च स्तरीय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय सक्षमता का होना अनिवार्य है। तारापुर में दूसरे विद्युत रिएक्टर प्रसंस्करण संयंत्र के चालू होने के परिणामस्वरूप स्वदेशी त्रिस्तरीय नाभिकीय कार्यक्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। अंतर-विषयी अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नवीनतम क्षेत्रों में शिक्षण के लिए वैज्ञानिक तथा नवीन अनुसंधान अकादमी स्थापित की जा रही है। खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रयासों को तेज करने और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में औद्योगिक अनुसंधान के संवर्धन और विकास तथा नवीन संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद का गठन किया जाएगा। फसलों की उन्नत किस्मों के विकास के लिए फसल आनुवांशिकी संवर्धन नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस सत्र में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है। देश में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड को अधिसूचित कर दिया गया है।

हमारे देश में जल संसाधनों का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में जनता में जागरूकता को बढ़ाने तथा लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय साधनों का उपयोग करते हुए सतही जल और भूमिगत जल के लिए एकीकृत नदी घाटी योजना को लागू किया जाएगा।

मेरी सरकार पर्यावरण और वनों के संरक्षण संबंधी सभी कानूनों को लागू करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आर्थिक विकास की द्रुत गति ने हमारे सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं।

भारत जैसे विकासशील देश को विकास की जरूरतों और पर्यावरण-अनिवार्यताओं के बीच उचित संतुलन स्थापित करने के मार्ग अवश्य खोजने होंगे। विभिन्न प्रकार की विकास गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान संबंधी सभी मुद्दों पर विचार के लिए मेरी सरकार ने एक मंत्री-समूह गठित किया है। यह समूह पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल विकास के मानदंडों के साथ समझौता किए बिना सभी मुद्दों पर विचार करेगा।

केन्द्र और राज्य सरकारें नदियों के संरक्षण के लिए निरन्तर सामूहिक रूप से प्रयास कर रही हैं। मेरी सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अंतर्गत कई उपाय प्रारंभ किए हैं। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों का संयुक्त संकाय गंगा नदी के लिए एक घाटी प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है।

मेरी सरकार ने पर्यावरणीय सुरक्षा और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है।

कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है, उन्हें इस कार्य में केन्द्र सरकार सहयोग देती है। आतंकवाद, कट्टरवाद, जातीय हिंसा तथा वामपंथी उग्रवाद लगातार बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। मेरी सरकार ने मुंबई पर आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र में भारी बदलाव किया है। बहु-एजेंसी केन्द्र और सहायक बहु-एजेंसी केन्द्र शुरू किए गए हैं; राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों की लगभग सौ नई बटालियनों की स्वीकृति दी गई है और उनमें से कई विगत दो वर्षों में गठित की गई हैं। तटीय सुरक्षा और अधिक बढ़ाई गई है। मेरी सरकार, प्रशिक्षण और ढांचागत सुविधाओं के अंतर को पाटने के लिए राज्यों को अगले पांच वर्षों के दौरान दो हजार करोड़ रुपए से अधिक की सहायता अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पुणे और वाराणसी की दो आतंकवादी घटनाओं को छोड़कर, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिकांशतः नियंत्रण में है।

वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों से भर्ती पर जोर देते हुए पुलिस बलों में की गई बढ़ोतरी के परिणाम दिखने लगे हैं। मेरी सरकार ने हाल ही में नौ राज्यों में से चुने गए 60 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना को मंजूरी दी है जिससे स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा।

जम्मू और कश्मीर के हालात में सुधार आया है। केन्द्र और राज्य सरकारों ने अनेक एहतियाती उपाय किए हैं। एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्य का दौरा किया। वार्ताकार भी अनेक प्रयासों

में सफलता के साथ कार्यरत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न समूहों के साथ गहन वार्ता करने के बाद से इन राज्यों में व्याप्त हिंसा में काफी कमी आई है।

माननीय सदस्यगण,

इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों के बहादुर सैनिकों का अभिनंदन करती हूँ। मेरी सरकार सदैव सैनिकों और पूर्व-सैनिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी और सशस्त्र बलों में अनुकरणीय सत्यनिष्ठा और व्यावसायिकता को कायम रखेगी।

मेरी सरकार अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बल बनाने के लिए ऐसे सभी आवश्यक कदम उठा रही है, जो इक्कीसवीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हों। रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास, रक्षा उत्पादन क्षमताओं के विस्तार और रक्षा उत्पादन में निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वदेशी बहु-उद्देश्यीय हल्के लड़ाकू विमान, तेजस को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकता भारत के सामाजिक-आर्थिक बदलाव के अनुकूल वातावरण तैयार करने और उसे बढ़ावा देने की रही है। भारतीय उप महाद्वीप में और हमारे पड़ोसी देशों में शांति के लिए किए जा रहे उद्यम, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग मेरी सरकार का दिग्दर्शन करते रहेंगे। पिछले वर्ष बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा भारत में किए गए उच्चस्तरीय दौरों के परिणामस्वरूप हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छी समझ विकसित हुई है। हम अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसके लिए हम अफगानी लोगों के पुनर्निर्माण कार्यों में अपना सहयोग देते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ सार्थक बातचीत के माध्यम से मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं बशर्ते पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल न होने दे।

मेरी सरकार ने खाड़ी देशों, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का विस्तार किया है। पड़ोसी देश चीन और लाओस तथा कम्बोडिया के मेरे दौरों से भारत के एक ऐसे क्षेत्र के साथ संबंध विकसित हुए हैं, जो हमारे लिए उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और हमारे प्रधान मंत्री ने मलेशिया, वियतनाम और जापान का दौरा किया। परिणामतः इन देशों के साथ हमारे संबंध निरंतर बढ़ रहे हैं।

हमारे लाखों नागरिक आज खाड़ी तथा पश्चिम एशिया में काम कर रहे हैं। प्रवासी भारतीय जिन देशों में रहते हैं, वहां बहुमूल्य योगदान देते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने डायस्पोरा के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। भारत के प्रति उनके योगदान की हम सराहना करते हैं और हम उनके साथ संपर्कों को बढ़ाते रहेंगे।

अपने विस्तारित पड़ोस के देशों में शांति, स्थिरता और विकास सुनिश्चित होने में हमारी स्थायी हित निहित है। हाल ही में मिस्र में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने में आई हैं। एक लोकतांत्रिक गणराज्य होने के नाते हम किसी भी देश में लोकतांत्रिक शुरुआत का स्वागत करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात तथा सीरिया की मेरी यात्राओं ने तथा प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की ऐतिहासिक यात्रा ने हमारे संबंधों को और अधिक सुदृढ़ किया है।

मध्य एशिया में अब भारत की तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन परियोजना में एक पक्षकार है। यह परियोजना इस उप-क्षेत्र में ऊर्जा परिदृश्य को परिवर्तित कर सकती है।

मेरी सरकार का इसी वर्ष में इथियोपिया में द्वितीय भारत-अफ्रीका फोरम शीर्ष सम्मेलन आयोजित करने का इरादा है। अफ्रीका में भारत द्वारा की गई पहली ऐसी पहल इस बात की ओर संकेत करती है कि भारत के जनमानस में अफ्रीका का एक विशेष स्थान है।

महाशक्तियों के साथ भी हमारे संबंध संतोषजनक रूप से विकसित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थायी सदस्यों-चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका-के नेताओं ने 2010 के दौरान भारत की यात्रा की। मेरी सरकार भारत के हितों के लिए इन संबंधों का भरपूर लाभ उठाने के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद के प्रभावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति अभी भी जटिल बनी हुई है। हमने एक खुली और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जी-20, ब्रिक और इबसा समूहों में अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ, संरक्षणवादी विचारधारा से बचते हुए काम किया है। उप-राष्ट्रपति ने बेलजियम में पिछले एशिया-यूरोप (असेम) शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमने वैश्विक नागरिकों के रूप में अपने उत्तरदायित्वों, वैश्विक साम्यता की मांगों और भारत के तीव्र आर्थिक बदलाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन संबंधी वार्ताओं में भाग लिया है। इस वर्ष जनवरी से शुरू होने वाली दो-वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में मेरी सरकार शांति, विकास और सुरक्षा के मसलों को बढ़ावा देगी और बहुपक्षीयता के मूल्यों को बरकरार रखेगी।

माननीय सदस्यगण,

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का वरदान मिला है। हमारे राष्ट्र-निर्माताओं ने विरासत में हमें ऐसी संस्थाएं, परम्पराएं और प्रथाएं सौंपी हैं जो हमारे लिए हमेशा से ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को चाहिए कि हम इन संस्थाओं, परम्पराओं और प्रथाओं को सुदृढ़ बनाकर एक शक्तिशाली, स्वतंत्र, समृद्ध और लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। इस प्रयास में मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।

जय हिन्द।

अपराह्न 12.28 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पांच पूर्ववर्ती सहयोगियों श्री बलीराम भगत, श्री लताफत अली खान, श्रीमती प्रभावती गुप्ता, श्री के. करूणाकरन और श्री टी.एस. श्रंगारे के दुःखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बलीराम भगत 15 जनवरी, 1976 को पांचवीं लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और इस पद पर वह 25 मार्च, 1977 तक बने रहे। लोक सभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही अत्यंत विशिष्ट तरीके से चलायी। उनका संसदीय कौशल, संसदीय प्रक्रियाओं और व्यवहार का गहन ज्ञान, विचारणीय मुद्दों पर सकारात्मक दृष्टिकोण सहित अंतर्दृष्टि और विहंगम दृष्टि रखने के कारण उन्हें सभा के सभी पक्षों की ओर से आदर मिला।

श्री भगत 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद; 1952 से 1977 तक पहली से पांचवीं लोक सभा और 1980 से 1989 तक सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पहली लोक सभा के दौरान बिहार के पटना-सह-शाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र; दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभाओं के दौरान बिहार के शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र; सातवीं लोक सभा के दौरान सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और आठवीं लोक सभा के दौरान बिहार के आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल प्रशासक श्री भगत ने फरवरी, 1969 से नवम्बर, 1969 तक विदेश व्यापार मंत्री; नवम्बर, 1969 से जून, 1970 तक विदेश व्यापार और आपूर्ति मंत्री; जून, 1970 से मार्च, 1971 तक इस्पात और भारी अभियांत्रिकी मंत्री और सितम्बर, 1985 से मई 1986 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री परिषद् में राज्य और उपमंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला।

अपने लंबे और उत्कृष्ट संसदीय कार्यकाल के दौरान श्री भगत ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। वे इस्तानबूल में 1951 में और बाद में हवाना में 1981 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री भगत ने 1982-83 में जेनेवा में आयोजित मानव अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ आयोग के सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। उन्हें जेनेवा में 1983 में मानवाधिकार आयोग की 33वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संगोष्ठी की अध्यक्षता करने का भी गौरव प्राप्त हुआ। श्री भगत ने 1993 में थोड़े समय के लिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का पद भी संभाला। बाद में, 30 जून, 1993 से 1 मई, 1998 तक वह राजस्थान के राज्यपाल रहे।

एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुमुखी व्यक्तित्व वाले श्री भगत एक सुप्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान उन्होंने "आवर स्ट्रगल" और "नॉन वॉयलेंट रिवोल्यूशन" नामक दो साप्ताहिक पत्रों का सम्पादन भी किया। 1947 में उन्होंने पटना से एक प्रगतिशील हिन्दी साप्ताहिक "राष्ट्रदूत" का प्रकाशन आरंभ किया। वह अग्रणी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आर्थिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर निरन्तर लेख लिखते रहे।

उनके निधन से देश ने एक महान देशभक्त, एक सुविख्यात सांसद और देश का एक सच्चा सपूत खो दिया है।

श्री बली राम भगत का निधन 89 वर्ष की आयु में 2 जनवरी, 2011 को नई दिल्ली में हुआ।

श्री लताफत अली खान वर्ष 1967 से 1970 तक चौथी लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री खान चौथी लोक सभा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोर्ट के सदस्य रहे।

श्री खान ने समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर ग्रामीणों के उत्थान के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जिला मुजफ्फरनगर की जिला परिषद प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया और वे जनसाधारण के उत्थान हेतु कार्यरत कई अन्य संगठनों से भी जुड़े रहे।

श्री लताफत अली खान का निधन 89 वर्ष की आयु में 23 नवम्बर, 2010 को नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता वर्ष 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा की सदस्य रहीं और उन्होंने बिहार के मोतिहारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती गुप्ता वर्ष 1952 से 1962 तक तथा 1977 से 1984 तक बिहार विधान सभा की सदस्य रहीं। वह 1972 से 1977 तक बिहार विधान परिषद् की सदस्य भी रहीं। वह बिहार विधान सभा तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति तालिका की सदस्य रहीं।

श्रीमती गुप्ता बिहार सरकार में वर्ष 1973 से 1974 तक खनन और भूगर्भ राज्य मंत्री तथा 1980 से 1983 तक जेल, परिवहन और आवास राज्य मंत्री रहीं। श्रीमती गुप्ता 1983 में बिहार मंत्रिमंडल में श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण मंत्री भी रहीं।

श्रीमती गुप्ता आठवीं लोक सभा के दौरान लोक लेखा समिति की सदस्य भी रहीं।

एक प्रतिबद्ध सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, श्रीमती गुप्ता, बिहार राज्य सामाजिक कल्याण बोर्ड की सदस्य रहीं। उन्होंने महिला व बाल उत्थान में अहम भूमिका निभायी। उन्होंने समाज के गरीब वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया।

श्रीमती गुप्ता वर्ष 1984 में स्विट्जरलैंड में हुए आई.एल.ओ. सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल तथा वर्ष 1976 में मॉरिशस में राजनीतिक मिशन की सदस्य रहीं। श्रीमती प्रभावती गुप्ता का निधन 82 वर्ष की आयु में 10 दिसम्बर, 2010 को पटना में हुआ।

श्री के. करुणाकरन वर्ष 1998 से 2004 तक बारहवीं एवं तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने केरल के क्रमशः तिरुअनन्तपुरम और मुकुन्दपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

अपने साढ़े छह दशक से लम्बे और शानदार राजनीतिक जीवन के दौरान श्री करुणाकरन वर्ष 1948 से 1949 तक कोचीन विधान सभा तथा वर्ष 1952 से 1954 तक त्रावणकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1965 से 1995 तक सात बार केरल विधान सभा के सदस्य रहे। वह वर्ष 1971 से 1977

तक केरल सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने वर्ष 1968 से 1970 के बीच केरल विधान सभा में लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वह वर्ष 1967 से 1969; 1978; 1980 से 1981 और पुनः 1987 से 1991 तक केरल विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष थे।

श्री करुणाकरन केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए तीन बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

एक कुशल प्रशासक, श्री करुणाकरन ने वर्ष 1977 में मार्च से अप्रैल तक; 1981 से 1982; पुनः 1982 से 1987 और 1991 से 1995 तक चार बार केरल के मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला। श्री करुणाकरन जून, 1995 से मई, 1996 तक केन्द्रीय उद्योग मंत्री भी रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान, वह ऊर्जा संबंधी समिति के सभापति और नियम समिति तथा सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान, वह नियम समिति तथा परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य रहे।

“लीडर” के नाम से लोकप्रिय, श्री करुणाकरन ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक समर्पित श्रमिक नेता के रूप में, वह अनेक श्रमिक संघों की स्थापना से जुड़े रहे। वह इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक), केरल के संस्थापक सदस्य थे। वह राष्ट्रीय विकास परिषद् 1992 की जनसंख्या संबंधी समिति के अध्यक्ष भी रहे।

उनके निधन से देश ने कामगार वर्ग के एक सच्चे मित्र और उनकी आवाज उठाने वाले व्यक्ति को खो दिया है जिन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता से मुक्त समाज के लिए संघर्ष किया।

श्री के. करुणाकरन का निधन 92 वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर, 2010 को तिरुवनन्तपुरम में हुआ।

श्री टी.एस. श्रंगारे वर्ष 1977 से 1979 तक छठी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री श्रंगारे ने 31 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक केन्द्र सरकार में संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। पेशे से अधिवक्ता, श्री श्रंगारे ने सत्र न्यायालय लातूर में सरकारी सहायक अधिवक्ता और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में कार्य किया। उन्होंने लातूर बॉर एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता श्री श्रंगारे

ने गरीबों और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने में सक्रिय भूमिका निभाई, वह अनेक शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन से संबद्ध थे और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के सूत्रधार भी थे।

श्री टी.एस. श्रंगारे का निधन 73 वर्ष की आयु में 8 जनवरी, 2011 को लातूर महाराष्ट्र में हुआ।

माननीय सदस्यगण, जैसाकि आप जानते हैं कि प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पण्डित भीमसेन जोशी अब हमारे बीच नहीं रहे। पण्डित भीमसेन जोशी ने हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत और भक्ति संगीत के अपने मंत्रमुग्धकारी सुरों से भारत और विदेशों में संगीत प्रेमियों की कई पीढ़ियों को रोमांचित किया।

पण्डित भीमसेन जोशी ने शास्त्रीय संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एकता पर दो दशक से अधिक समय पहले प्रसारित किया गीत ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ का चमत्कारिक प्रभाव हुआ और पण्डित भीमसेन जोशी और आम लोगों के बीच एक संबंध स्थापित हुआ।

उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान, जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तानसेन सम्मान, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण और देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किए गए।

हालांकि उनकी मृत्यु से जो अभाव पैदा हुआ है उसे कभी भी भरा नहीं जा सकता, लेकिन उनके संगीत का सार्वभौमिक आकर्षण हमेशा ही संगीत प्रेमियों की पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।

पण्डित भीमसेन जोशी का निधन 89 वर्ष की आयु में 24 जनवरी, 2011 को पुणे में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी ओर से इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ।

माननीय सदस्य 14 जनवरी, 2011 को एक दुःखद घटना में बच्चों समेत कम से कम 102 तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक जीप अनियंत्रित होकर केरल के इदुक्की जिले में वनडीपेरियार के समीप पुलमेडु में सबरीमाला की वार्षिक तीर्थयात्रा से लौट रहे तीर्थयात्रियों में जा घुसी जिसके कारण भगदड़ मच गई।

यह सभा इस दुर्घटना के कारण शोक संतप्त परिवारों और घायलों को जो दुःख और पीड़ा हुई, पर गहरा शोक व्यक्त करती है।

मैं अपनी और इस सभा की ओर से इस दुःखद घटना पर शोक व्यक्त करती हूँ।

सदस्यगण अब दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

अपराह्न 12.40 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदया: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 फरवरी, 2011/3 फाल्गुन, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

